रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 1, 1984 (अग्रहायण 10, 1906)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 1, 1984 (AGRAHAYANA 10, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड-1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	
भाग I—खण्ड-2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1 6
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	13
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड-1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . .	*
भाग II—खंड-3-उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) . .	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	28711
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस . .	977
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें आदेश, विज्ञापन, और नोटिस शामिल हैं . .	2981
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . .	181
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	827
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1469
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1897
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2871
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	977
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2981
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	181
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio No. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 1984

सं० ए०-11013/91/84-प्रशा०-I--भारत सरकार ने एक तकनीकी अध्ययन दल नियुक्त करने का फैसला किया है जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की संरचना की विस्तृत जांच करेगा और इस सम्बन्ध में सिफारिश करेगा कि इसे किस आधार पर संशोधित तथा युक्तियुक्त बनाया जा सकेगा ।

तकनीकी अध्ययन दल में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

श्री ज्योतिर्मय दत्त —अध्यक्ष
सदस्य
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क
एवं सीमा शुल्क बोर्ड नई दिल्ली ।

डा० चरन अक्षया —सदस्य
प्राधिक सलाहकार
भारत रिजर्व बैंक, बम्बई

श्री तरुण दास
कार्यकारी निदेशक
भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग संघ —सदस्य

श्री एस० टी० श्रीनिवासन
सदस्य (वित्त)
औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो —सदस्य

सदस्य (बजट)
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं
सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली —सदस्य

जबकि अध्यक्ष पूर्णकालिक अधिकारी होंगे परन्तु सदस्य, अपने-अपने वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त दल में कार्य करेंगे ।

3. तकनीकी अध्ययन दल के विचारार्थ विषय इस प्रकार से है :—

(i) भारत सरकार से इस सम्बन्ध में सिफारिश करना कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ अनुसूची (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम की प्रथम अनुसूची) में किस आधार पर, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में, संशोधन किए जाने चाहिए ।

(क) करदाताओं और कर संग्रहकर्त्ताओं के बीच विवाद को कम करने की दृष्टि से टैरिफ और कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्य-विधियों को सरल और युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता;

(ख) नीति-निर्धारण करने के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के भार से सम्बन्धित आधार सामग्री एकत्र करने में सुविधा; और

(ग) औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों, आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सीमा शुल्क टैरिफ कोड और अन्य सांख्यिकीय वर्गीकरण के साथ सम्भव सीमा तक मिलान,

(ii) छूट और राहतों विशेष रूप से ऐसी राहतों और छूटों के तरीके की समीक्षा करना जिनका उद्देश्य लघु-उद्योगों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना हो, और

(iii) दल द्वारा की गयी सिफारिशों का कार्यान्वयन करने और विशेष रूप से इस बात की जांच करने की दृष्टि से आवश्यक विधायी और प्रशासनिक परिवर्तन करने के सम्बन्ध में सिफारिश करना कि क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची, को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में अलग से अधिनियमित किया जाना चाहिए ।

4. दल-अध्ययन-दल पर ऐसे सदस्यों को आवश्यकतानुसार सहयोजित कर सकता है तथा उनसे ऐसा सुविज्ञ सलाह अथवा दूसरे साक्ष्य ले सकता है जो इसके कार्य के लिए अपेक्षित हो । दल अपनी नियुक्ति की तारीख से 1 वर्ष के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसा अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बंधित अधिकारियों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को जनसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ओ० पी० गुप्ता उप सचिव

भारतीय डाक तार विभाग

डाक तार महानिदेशक का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 1984

प्रस्ताव

सं० 6-29/83-पी० ई-II--भारत सरकार कुछ समय से अतिरिक्त विभागीय प्रणाली के कार्यकरण की जांच करने और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को उनकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के मानदण्ड की पुनरीक्षा करने के प्रश्न पर विचार कर रही है । अब भारत सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एक-सदस्य समिति का गठन करने का निर्णय लिया है ।

2. श्री आर० आर० सबूर, सेवानिवृत्त सदस्य (वित्त), डाक तार बोर्ड इस समिति का गठन करेंगे ।

3. यह समिति सामान्यतया डाक-तार विभाग की डाक शाखा की अतिरिक्त विभागीय प्रणाली के कार्यकरण की जांच करेगी और मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए यथावश्यक इस प्रणाली को अधिक कारगर बनाने के लिए इसके

सुधार सम्बन्धी सुझाव देगी। विशेषत: समिति निम्नलिखित कार्यों का अध्ययन करेगी :—

(क) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवाओं के लिए उनके पारिश्रमिक के मौजूदा मानदण्ड तथा उनके भत्तों की सावधिक पुनरीक्षा प्रक्रिया की जांच करना ।

(ख) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को डाकघर कार्य आदि से सम्बन्धित सुविधाएं देने की जांच करना ।

(ग) विभिन्न श्रेणी के अतिरिक्त विभागीय डाकघरों में जनता को दी गयी सुविधाओं की पुनरीक्षा ।

(घ) विभिन्न श्रेणियों के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता तथा अन्य अर्हता शर्तों तथा डाक तार विभाग में उन्हें नियमित ग्रेड में नियुक्त करने के लिए दी गयी सुविधाओं की पुनरीक्षा ।

(ङ) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए आचरण और अनुशासनिक नियमावली की पुनरीक्षा ।

(च) इस पर भी विचार करना कि क्या अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को एक उपदान देने की मौजूदा प्रणाली में किसी प्रकार के परिवर्तन करने का आवश्यकता है ?

(छ) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के संगठन को वैधानिक ट्रेड यूनियन के कार्यकलापों सम्बन्धी दी गयी सुविधाओं की पुनरीक्षा ।

4. यदि समिति की जांच के दौरान अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को अन्तरिम आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो समिति इस मुद्दे पर विचार करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति द्वारा यह भी निर्दिष्ट किया जाएगा कि क्या समिति किसी प्रकार की अन्तरिम आर्थिक सहायता देने की सिफारिश करती है तथा किस तारीख से ऐसी अन्तरिम सहायता दी जाए ।

5. समिति अन्य बातों के साथ-साथ डाक तार विभाग की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, साधनों तथा वित्तीय शर्तों, विकासीय योजनाओं की मांगों तथा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के वेतन तथा अन्य सामान्य स्थानीय परिस्थितियों, को ध्यान में रख कर अपनी सिफारिशें देगी। समिति अपने कार्य की प्रगति के बारे में समय-समय पर चतुर्थ वेतन आयोग को सूचित करती रहेगी ।

6. समिति अपनी कार्य प्रक्रिया बनाएगी तथा यथावश्यक सूचना एकत्र करेगी और साक्ष्य लेगी ।

7. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

8 समिति अपने गठन की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपनी रि दे देगी ।

आदेश दिया जाता है कि जनता के सूचनार्थ इस प्रस्ताव को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक-एक प्रति वेतन आयोग, निदेशक, लेखा परीक्षा, डाक-तार, दिल्ली, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) तथा अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित की जाए ।

आर० किशोर, सदस्य (प्रशासन)
पदेन अतिरिक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 1984

संकल्प

स० ई०-11015/33/82-हिन्दी—भारत सरकार श्री नरेन्द्र सिंह, संसद सदस्य का इस मंत्रालय के संकल्प संख्या ई०-11015/1/80-हिन्दी, दिनांक 14 अगस्त, 1984 द्वारा गठित इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की सदस्यता से त्यागपत्र तत्काल से स्वीकार करती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, समन्वय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी केन्द्रीय राजस्व और लेखा महानियंत्रक को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

जितेन्द्र सिंह जाफा, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
New Delhi, the 22nd September 1984
RESOLUTION

No. A-11013/91/84-Ad.IV.—The Government of India has decided to appoint a Technical Study Group to conduct a comprehensive enquiry into the structure of the Central Excise Tariff and recommend the lines on which it may be revised and rationalised.

The Technical Study Group will consist of the following :-

Chairman

Shri J. Datta,
Member,
Central Board of Excise and
Customs, New Delhi.

Members

Dr. Charan Wadhawa,
Economic Adviser,
Bharat Heavy Electricals.

Shri Tarum Das,
Executive Director,
Association of Indian
Engineering, Industry.

Shri N. T. Srinivasan,
Member (Finance),
Bureau of Industrial Costs
& Prices.

Member (Budget),
Central Board of Excise &
Customs, New Delhi.

While the Chairman wll be full time officers, the Members will be serving the group in addition to their present assignments.

3. The terms of reference of the Technical Study Group are—

(i) to recommend to the Government of India the lines on which the Central Excise Tariff (First Schedule to the Central Excise & Salt Act, 1974)should be revised with particular reference to—

(a) the need for simplification and rationalisation to the Tariff and assessment procedures with a view to reducing the areas of conflict between the tax payers and the tax-Collectors;

(b) facility in collection of data regarding incidence of excise duty for policy formation; and

(c) alignment, to the extent possible, with the Tariff code of Customs and other statistical classification used by the Government in regard to industrial licensing, import licensing etc.

(ii) to review the pattern of exemptions and reliefs, particularly those aimed at encouraging small scale and cottage industries; and

(iii) to make recommendations for neccesary Legislative and administrative changes wth a view

to implementing the recommendations made by the Group and, especially, to examine whether the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 should be separately enacted as Central Excise Tariff Act.

may co-opt such members as may be necessary from time to time and take such expert or other evidence as it may require for its work. The Group will submit its Report to the Government of India within a year from the date of its appointment; and it may submit such interim reports as it considers necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, for General information

O. P. GULLA, Dy. Secy

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL POSTS AND TELEGRAPHS

New Delhi-110001, the 5th November 1984

RESOLUTION

No. 6-29/83-PE-II.—The question of examining the working of the Extra-Departmental System in the P&T Department and reviewing the basis for remunerating the services of Extra-Departmental Agents has been under the consideration of the Government of India for some time. The Government of India have now decided to set up a One-man Committee for the purpose.

2. Shri R. R. Savoor, retired Member (Finance), P&T Board, will constitute the Committee.

3. The Committee will examine generally the working of the Extra Departmental System in the Postal Wing of the P&T Department and suggest such modifications and improvements as may be necessary to make the system efficient consistent with economy. In particular, the Committee will;

(a) examine the existing basis for remunerating the services of Extra-Departmental Agents and the procedue for periodical review of their allowances,

(b) examine the facilities to be provided to Extra Departmental Agents in connection with Post Office work etc.;

(c) review the facilities provided for the public at different classes of Extra Departmental Post Offices;

(d) review the qualifications and other eligibility conditions prescribed for employment of different categories of Extra Departmental Agents and the facilities given to them for absorption in the regular grades in the P&T Department;

(e) review the conduct and disciplinary rules for Extra Departmental Agents;

(f) consider whether any change is called for in the present system of grant of gratuity to Extra-Departmental Agents;

(g) review he facilities extended to Association of Extra-Departmental Agents in regard to legitimate Trade Union activities.

4. In case the need for consideration of grant of relief of an interim charactor to the Extra-Departmental Agents arises during the course of enquiry by the Committee, it may consider the same and send a report thereon. Should the Committee recommend grant of any interim relief, the date from which the relief should be granted will also be indicated by the Committee.

5. The Committee will make its recommendations having regard, among other factors, to the historical background, the resources and financial condition of the P & T Department, the demands of developmental planning and the wages and other conditions of employment prevailing in the localities where such Extra-Departmental Agents are normally employed. The Committee will keep the Fourth Central Pay Commission informed of the progress of its work from time to time.

6. The Committee will devise its own procedure and may call for such information and take such evidence as it may consider necessary.

7. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi.

8. The Committee will make its recommendations within a period of one year from the date of its formation.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that a copy of the Resoultion be communicated to the Pay Commission, Director of Audit, P & T Delhi, the Ministry of Finance (Department of Expr.) and all others concerned.

R. KISHORE
Member (Administration) &
Ex-Officio-Addl. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 31st October 1984

RESOLUTION

No. F.11015/33/82-Hindi.—Government of India have accepted the resignation of Shri Narendra Singh, Member of Parliament, from the membership of the Hindi Advisory Committee of this Ministry constituted *vide* this Ministry's Resolution No. F.11015/1/80-Hindi, dated 14th August, 1981 with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Govts. and Union Territory Administrations, all Ministries/Deptts. of the Govt. of India, President's Sectt., Prime Ministers Office, Cabinet Sectt., Deptt. of Parliamentary Affairs. Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues and Controller General of Accounts.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. S. JAFA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984